न्यायालय– समाहर्त्ता, सहरसा।

अधिग्रहण वाद संख्या– 65/2008–09 राज्य बनाम राजकिशोर जयसवाल वगैरह

आदेश

4-3-15

प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण यह आदेश विलम्ब से पारित किया जा रहा है। दिनांक– 30.07.2008 को अनुमण्डल पदाधिकाकरी, सदर, सहरसा को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर राजकिशोर जयसवाल, पिता– कमलेश्वरी जयसवाल के घर से 250 लीटर किरासन तेल एवं भूपेन्द्र साह, पिता– स्व0 कुँवर साह के घर से 200 लीटर किरासन तेल जप्त कर सदर थराना में सुरक्षित रखते हुए इनके विरूद्ध अधिग्रहण की कार्यवाही करने का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के पत्रांक– 497 सपत्र गो० दिनांक– 05.08.2008 से प्रस्ताव समर्पित किया गया था।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव पर इस कार्यालय के ज्ञापांक 211–2 दिनांक– 26.09.2008 द्वारा राजकिशोर जयसवाल एवं भूपेन्द्र साह से तीन दिनों के अन्दर कारण–पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेशित किया। भूपेन्द्र साह पर उक्त नोटिस का तामिला दिनांक– 15.11.2008 को कर दिया गया, परन्तु मकान मालिक रंजीत कुमार एवं राजकृष्ण कुमार द्वारा प्रोसेस सर्वर को बतलाया गया कि राजकिशोर जयसवाल करीब दो माह पूर्व मकान खाली कर भाग गये हैं। इस तरह राजकिशोर जयसवाल पर न तो नोटिस का तामिला हुआ और न ही उन्होंने कोई कारण–पृच्छा समर्पित किया।

भूपेन्द्र साह ने अपने कारण–पृच्छा में कहा है कि वे वर्ष 1985 से अनुज्ञप्तिधारी ठेला भेंडर हैं तथा उनके विरूद्ध आज तक न तो किसी उपभोक्ता ने कभी शिकायत की है और न हीं उन्होंने अनुज्ञप्ति की किसी शर्त्त का उल्लंघन किया हे। दिनांक– 30.07.2008 को मे० मेघराज सर्राफ के यहाँ से करीब 9.00 बजे एक ड्राम किरासन तेल कुल 197 लीटर प्राप्त कर बिक्रेता द्वारा लाया गया था। बिक्रेता के बड़े भाई स्व० गुणेश्वर साह के मृत्यु के फलस्वरूप उस दिन नख–बाल था। उपभोक्ताओं एवं स्थानीय वार्ड आयुक्त से बिक्रेता द्वारा सहमति प्राप्त कर ली गयी थी कि नख–बाल के बाद 2.00 बजे दिन से वितरण किया जायगा, जबकि 10.30 बजे छापामारी कर किरासन तेल जप्त कर लिया गया तथा सहरसा थाना काण्ड संख्या– 335/08 दर्ज करा दिया गया। बिक्रेता का अग्रतर कहना है कि पुलिस अधीक्षक के ज्ञापांक 2244 सी०आर० दिनांक– 27.09.2008 के पर्यवेक्षण में बिक्रेता को निर्दोष बतलाया गया है। बिक्रेता द्वारा पर्यवेक्षण टिप्पणी की छाया प्रति बड़े भाई की मृत्यु से संबंधित मृत्यु प्रमाण–पत्र, मेघराज सर्राफ का कैश/क्रेडिट मेमो की छाया प्रति, अनिल कुमार (गोपजी) नगर पार्षद के प्रमाण–पत्र की छाया प्रति तथा श्राद्ध–कर्म संबंधी निमंत्रण पत्र की छाया प्रति भी कारण–पृच्छा के साथ संलग्न की गयी है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

भूपेन्द्र साह, बिक्रेता द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा के सूक्ष्म विश्लेषण से उनके विरूद्ध कालाबाजारी के उद्धेश्य से किरासन तेल भंडारित करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि जप्त 197 लीटर किरासन तेल अधिग्रहण से मुक्त कर विक्रेता को हस्तगत करा दें तथा उपभोक्ताओं के बीच विक्रेता से वितरण करवाना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त राजकिशोर जयसवाल का जप्त 250 लीटर किरासन तेल दिनांक– 25.09.2008 अधिग्रहित की जा चुकी है। अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरान्त इसे जन वितरण प्रणाली के दूकान के माध्यम से बिक्री करवाकर प्राप्त राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत अविलम्ब जमा करवाने हेतु भी अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर सहरसा को निदेशित किया जाता है।

इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

04.3.15

समाहर्त्ता,
सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 514-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 10 मार्च, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/3/15

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

7-3-15